न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
जिला जोधपुर

राजस्व वाद संख्या– 88/2020

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. केराराम पुत्र बींजाराम
2. बी. नारायणसिंह पुत्र बींजाराम
जातियान जाट निवासीगण
भावी, तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

1. मिश्राराम पुत्र बींजाराम
2. रखाराम पुत्र बींजाराम
3. सरोज पत्नी गणपतराम
जातियान जाट निवासीगण
भावी तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :–वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 1से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :–**

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 1.3106 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.6877 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 177 रकबा 1.2944 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 2628 रकबा 0.2346 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 2895 रकबा 0.5663 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 3500 रकबा 0.3236 हेक्टेयर, कुल खसरा 6 कुल रकबा 4.4172 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि वादीगण के पिता बींजाराम की खातेदारी की थी। बींजाराम जी के पॉच पुत्र केराराम, नारायणसिंह, मिश्राराम, रखाराम, पाबूराम है। जिनमें से पाबूराम ने अपना 1/5 हिस्से की भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 3 को कर दिया है। खातेदार बींजाराम जी का देहान्त सन् 1976 में हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादीगण के पिता बींजाराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उसमें वादीगण का लिपीकीय भूलव”ा या त्रुटीव”ा केसाराम तथा नारायणराम नाम लिख दिया, जबकि वादी संख्या 1 का वास्तविक नाम केराराम तथा वादी संख्या 2 का वास्तविक नाम बी. नारायणसिंह है। वादीगण को घर में लाड प्यार से केसाराम तथा नारायणराम पुकारते है और वादीगण का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम केराराम तथा बो. नारायणसिंह लिखा हुआ है। जब वादीगण के पिता बींजाराम जी का देहान्त हुआ उस समय फौतेदगी नामान्तरकरण में भूलव”ा या त्रुटीव”ा वादीगण का नाम केसाराम तथा नारायणराम लिख दिया, जबकि वादीगण का सरकारी दस्तावेजो के अनुसार उसका वास्तविक नाम केराराम तथा बी. नारायणसिंह है। वादीगण अभी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैक के समक्ष गया और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर ऋण देने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:19 IST
Reason: SelfAttested

आदि दस्तावेज बैंक मैनेजर साहब के समक्ष पे"ा किये, जिस पर बैंक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम केराराम व बी. नारायणसिंह लिखा हुआ है और जमाबन्दी में केसाराम व नारायणराम लिखा हुआ है, जिस पर बैक मैनेजर ने ऋण देने से मना कर दिया और वादीगण को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि आदि करवायी जावे। इस कारण वादीगण को राजस्व रेकर्ड मे अपने केसाराम के स्थान पर केराराम तथा नारायणराम के स्थान पर बी. नारायणसिंह नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पे"ा करना पड़ रहा है। वादी संख्या 1 केसाराम एवं केराराम एक ही व्यक्ति है एवं वादी संख्या 2 नारायणराम एवं बी. नारायणसिंह एक ही व्यक्ति है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा का"त चला आ रहा है। वादी ने विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 117, 137, 177, 2628, 2895, 3500 की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कही कोई आपति, एतराज या अपील, रिवीजन आदि पे"ा नही की है। वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में केसाराम तथा नारायणराम नाम लिख देने से वादीगण न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकता है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है आर न ही अपनी खातेदारी भूमि का बैचान कर सकता है।यह है कि वाद कारण वादीगण अभी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण लेने हेतु बैंक मैनेजर के पास गय और उनके द्वारा रेकर्ड में शुद्धि का इन्द्राज कराने का कहने पर वादीगण को वाद कारण ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।

अन्त में वादीगण ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पे"ा की निवेदन किया है कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 1.3106 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.6877 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 177 रकबा 1.2944 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 2628 रकबा 0.2346 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 2895 रकबा 0.5663 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 3500 रकबा 0.3236 हेक्टेयर, कुल खसरा 6 कुल रकबा 4.4172 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में केसाराम पुत्र बींजाराम के स्थान पर केराराम पुत्र बींजाराम तथा नारायणराम पुत्र बींजाराम के स्थान पर बी. नारायणसिंह पुत्र बींजाराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम केसाराम तथा नारायणराम के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर केराराम तथा बी. नारायणसिंह का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदे"ा फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के सम्मन बाद तामिल पे"ा हुए। प्रतिवादी सं. 1 से 3 को उपस्थित होने के लिए न्यायहित में पर्याप्त अवसर दिये गये बार बार रूक रूक कर आवाज दिलवाई गयी किन्तु उपस्थित न होने पर दिनांक 13.07.2021 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। [illegible] सं. 4 ने जवाब पे"ा किया जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] जाटाबास के खसरा नं. 117/1.3106, 137/0.6877, 177/1.2944, 2628/0.2346, 2895/0.5663, 3500/0.3236 कुल खसरे 6 कुल रकबा 4.4172 वादीगण व प्रतिनिधिगण 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की आइ हुयी है जिसमें प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है। बींजाराम के फोत होने पर नामान्तरकरण सं. 705 के जरिये वादीगण व प्रतिवादीगण 1 से 3 के नाम दर्ज किये गये। वादीगण अपना नाम राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:19 IST
Reason: SelfAttested

रेकर्ड जमाबंदी में केसाराम पुत्र बींजाराम के स्थान पर केरराम पुत्र बींजाराम व नारायणराम पुत्र बींजाराम के स्थान पर बी.नारायणसिंह पुत्र बींजाराम दर्ज करवाना चाहते है। वादीगण द्वारा सरकारी दस्तावेजों में अपना नाम केरराम पुत्र बींजाराम व बी. नारायणसिंह होना बताया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम भावी जाटावास के खसरा नम्बर 117, 137, 177, 2628, 2895 व 3500 कुल रकबा 4.4172 के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादीगण द्वारा केसाराम पुत्र बींजाराम व नारायणराम पुत्र बींजाराम के स्थान पर केरराम पुत्र बींजाराम व बी.नारायणसिंह पुत्र बींजाराम करने की ईस्तदुआ की गई है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रद”ा 1 ड्राईविंग लाईसेन्स बी.नारायणसिंह, प्रद”ा 2 आधार कार्ड बी.नारायणसिंह पुत्र बींजाराम, प्रद”ा 3 पैनकार्ड बी.नारायणसिंह पुत्र बींजाराम, प्रद”ा 4 आधार कार्ड केरराम पुत्र बींजाराम, प्रद”ा 5 पैनकार्ड केरराम पुत्र बींजाराम, प्रद”ा 6 जमाबंदी संवत् 2076–2079 की प्रतिलिपि आदि पे”ा किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादीगण के सरकारी दस्तावेजात में वादीगण का नाम केरराम पुत्र बीजाराम व बी.नारायणसिंह पुत्र बींजाराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीगण की खातेदारी केसाराम पुत्र बींजाराम व नारायणराम पुत्र बींजाराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम केरराम पुत्र बींजाराम व बी.नारायणसिंह पुत्र बींजाराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 1.3106 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.6877 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 177 रकबा 1.2944 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 2628 रकबा 0.2346 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 2895 रकबा 0.5663 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 3500 रकबा 0. 3236 हेक्टेयर, राजस्व रेकर्ड में दर्ज केसाराम पुत्र बींजाराम व नारायणराम पुत्र बींजाराम के स्थान पर केरराम पुत्र बींजाराम व बी.नारायणसिंह पुत्र बींजाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे”ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल”ाुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक ... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:19 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **भवानी सिंह, आर.ए.एस.**

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

1. केराराम पुत्र बींजाराम
2. बी. नारायणसिंह पुत्र बींजाराम
   जातियान जाट निवासीगण
   भावी, तहसील बिलाड़ा
   जिला जोधपुर

बनाम

1. मिश्राराम पुत्र बींजाराम
2. रखाराम पुत्र बींजाराम
3. सरोज पत्नी गणपतराम
   जातियान जाट निवासीगण
   भावी तहसील बिलाड़ा
   जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 88/2020

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 क विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे”ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 1.3106 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.6877 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 177 रकबा 1.2944 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 2628 रकबा 0.2346 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 2895 रकबा 0.5663 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 3500 रकबा 0.3236 हेक्टेयर, राजस्व रेकर्ड में दर्ज केसाराम पुत्र बींजाराम व नारायणराम पुत्र बींजाराम के स्थान पर केराराम पुत्र बींजाराम व बी. नारायणसिंह पुत्र बींजाराम की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे”ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			[illegible] हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मु[illegible]क		
			[illegible]लबाना		
मीजान			[illegible]जान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो [illegible]ीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:19 IST
Reason: SelfAttested